महाविद्यालय की उपलब्धियाँ

- विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान (विद्या विकास समिति, झारखण्ड) से सम्बद्ध।
- झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (झारखण्ड सरकार), से स्थाई प्रस्वीकृति प्राप्त।
- खेलकूद में भैया-बहनों द्वारा प्रांत एवं क्षेत्र स्तर पर सहभागिता।

महाविद्यालय की विशिष्टताएँ

- भारतीय संस्कृति शिक्षण पर आधारित।
- योग्य एवं अनुभवी शिक्षक।
- समृद्ध पुस्तकालय।
- समृद्ध प्रयोगशाला।
- स्मार्ट क्लास की व्यवस्था।
- छात्रवृत्ति।
- खेल एवं खेल मैदान की समुचित व्यवस्था, साथ ही योग एवं शारीरिक शिक्षा, राइफल शूटिंग की व्यवस्था।
- प्रदूषणरहित एवं सीसीटीवी के साथ चहारदीवारीयुक्त सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण।
- त्रैमासिक जाँच परीक्षा एवं मॉक टेस्ट की व्यवस्था।
- संस्कृति ज्ञान परीक्षा की व्यवस्था।
- समय-समय पर अतिथि व्याख्यान।
- पाठ्य सहगामी क्रियाएँ।
- शैक्षणिक-भ्रमण।
- समूह शिक्षण।
- साप्ताहिक प्रायोगिक कक्षाएँ।
- पाठ्यक्रम की साप्ताहिक चर्चा कक्षाएँ।
- स्पोकेन इंग्लिश।
- आत्मरक्षा, स्वास्थ्य व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण।
- रोजगारोन्मुख मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण।
- मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस एवं अभिभावक संपर्क।
- बालक-बालिकाओं के लिए पेयजल एवं शौचालय की अलग-अलग व्यवस्था।

महाविद्यालय गतिविधियाँ

संस्थापक
स्व० मनोहर लाल अग्रवाल

मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय

विद्या भारती विद्यालय

विद्या विकास समिति, झारखण्ड से सम्बद्ध एवं
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (झारखण्ड सरकार)
से स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त

स्वर्गीय मनोहर लाल अग्रवाल जी
संस्थापक

शारदा नगर (विद्या मंदिर के निकट), लोहरदगा - 835302 (झारखण्ड)

ई-मेल : mlasvmic@gmail.com
महाविद्यालय कोड : 13006
दूरभाष संख्या : +91 70332 47010
व्हाट्सअप संख्या : +91 70332 47010

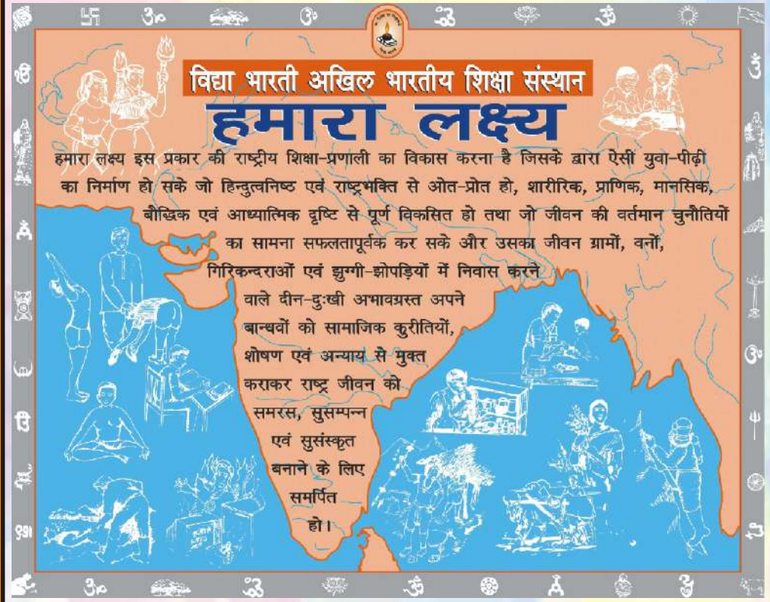

विद्या भारती के पाँच आधारभूत विषय

- शारीरिक शिक्षा
- योग शिक्षा
- संगीत शिक्षा
- संस्कृत शिक्षा
- नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा

विद्या भारती के चार आयाम

- संस्कृति बोध परियोजना
- पूर्व छात्र परिषद्
- विद्वत् परिषद्
- शोध

महाविद्यालय

एक परिचय

मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय, लोहरदगा की स्थापना वर्ष 2007 में हुई। प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय मनोहर लाल अग्रवाल जी ने इस महाविद्यालय के लिए 3 एकड़ जमीन विद्या विकास समिति, झारखण्ड को दान दी। उन्होंने कार्य आरंभ करने के लिए 1 लाख रुपये की नकद राशि भी दान दी। विद्या मंदिर की स्थापना के बाद उनका सपना था कि भैया-बहनों को इंटर स्तर तक की पढ़ाई भी सुलभ हो और यहाँ के जनजातीय भैया-बहनों को दूर कहीं नहीं जाना पड़े, इसलिए न सिर्फ ढाँचागत बल्कि समाज को जोड़ते हुए अन्य प्रकार के विकास पर भी तेजी से कार्य करते हुए महाविद्यालय को मूर्त रूप दिया। आज विद्या विकास समिति, झारखण्ड से सम्बद्ध और झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (झारखण्ड सरकार) से स्थाई प्रस्वीकृति प्राप्त यह महाविद्यालय नित्य नई ऊँचाईयों को छू रहा है।

महाविद्यालय में खेलकूद के लिए बड़ा मैदान है। खेल-कूद के अनेकों साधन व सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। परिसर को सुसज्जित बनाने के लिए बागवानी का विकास हो रहा है। आगंतुकों के विश्राम के लिए और बहनों के मनोरंजन के लिए पार्क, बेंच और झूले लगाए गए हैं। महाविद्यालय में प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय व्यवस्थित हैं। पर्याप्त संख्या में कमरे, कार्यालय, आचार्य और प्रधानाचार्य कक्ष, भैया-बहनों के लिए अलग-अलग शौचालय एवं प्याऊ भी हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चहारदीवारी एवं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किशोरी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बहनों के लिए विशेष निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था है। भैया-बहनों को नियमित योग सिखाया जाता है और उनके व्यक्तित्व विकास को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालय में 15 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएँ एवं कर्मी हैं। प्रत्येक सप्ताह प्रायोगिक कक्षाएँ ली जाती हैं एवं प्रत्येक तीन माह में परीक्षा होती है। प्रत्येक वर्ष संस्कृति ज्ञान परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएँ चलाई जाती हैं। रोजगारोन्मुख मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के साथ भैया-बहनों के संपूर्ण विकास के लिए अभिभावक संपर्क भी किया जाता है।

महाविद्यालय की नियमावली

- निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व महाविद्यालय पहुँचना है।
- महाविद्यालय में चलंत दूरभाष लाना सख्त मना है।
- विद्यालय वेश में परिचय-पत्र के साथ ही महाविद्यालय आना है, अन्यथा भैया-बहनों को वापस घर जाना होगा।
- त्रैमासिक परीक्षाओं, प्रायोगिक कक्षाओं, विशेष कक्षाओं एवं खेल-कूद सहित समस्त पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में शामिल होना अनिवार्य है।
- कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
- गोष्ठियों/बैठकों में अपने अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करा कर आदर्श विद्यार्थी का परिचय देंगे।
- शिक्षकों को आचार्य जी, शिक्षिकाओं को दीदी जी, बालकों को भैया, बालिकाओं को बहन शब्द से सम्बोधित करेंगे।
- ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ परिसर की स्वच्छता एवं सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करेंगे।
- निर्धारित समय से कक्षा में उपस्थित हो जाएँगे।
- भैया-बहन विद्यालय आने हेतु साईकिल अथवा विद्यालय वाहन का ही प्रयोग करेंगे। मोटरसाईकिल, स्कूटर का प्रयोग निषिद्ध है।
- पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें एक सप्ताह के अंदर वापस कर देंगे।
- महाविद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों में भैया-बहनों की उपस्थिति अनिवार्य है।
- किसी आवश्यकतानुसार अभिभावक के विद्यालय आने पर सीधा भैया-बहनों/शिक्षकों से मिलने की सुविधा नहीं रहेगी। इस हेतु सर्वप्रथम कार्यालय में संपर्क करेंगे।
- अपने साथ भैया-बहन टिफिन लेकर आएँगे।
- किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति के उपरांत प्रार्थना-पत्र लेकर आना अनिवार्य है जिसमें अभिभावक का हस्ताक्षर होगा।
- 'जोहार' हमारा अभिनंदन शब्द है और रॉल नंबर कॉल पर 'जय हिन्द' बोलना है।
- प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक मासिक शुल्क जमा कर देंगे।
- उक्त नियमों का पालन न करने पर भैया-बहनों का नाम महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा।

सोमवार से गुरुवार तक के निर्धारित वेश के अलावा शुक्रवार एवं शनिवार को शुभ्र (सफेद) वेश और सफेद पदवेश (जूता-मोजा) निर्धारित है।